

अभूतित मूतित का विवरण

• कुल स्वीकृत अभूतित मूतित	720 मूतित
• पूर्व में अधिभोग जारी अभूतित मूतित (6 टोंवर)	342 मूतित
• वर्तमान में निर्मित अभूतित मूतित (06 टोंवर)	356 मूतित

प्रतिबन्ध -

- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमावीर सिंह बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- नीएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, रीर (Real Estate Regulation and Development Act) 2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैंडस्केप/ हस्ति क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।
- यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रैता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो गुण-दोष के आधार पर यह अधिभोग प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

Completion Drawing is as per Bye Laws
submitted for approval Please

PI

Ass Arch

Architect

भवदीय,

नाम

पद

नीएडा
अशोक कुमार मिश्रा
मुख्य अस्तुति विभाजक
नीएडा

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाऊसिंग), नीएडा को सूचनाार्थ।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा (उ०प्र०)

संख्या-नौएडा/मु०का०नि०/2017/ III-247/ 998

दिनांक : 21/11/17

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स सनवल्ड डवलपर्स प्रा० लिमिटेड,
भूखण्ड सं० जीएच - 01डी, सेक्टर - 107,
नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री ज्ञान पी० माथुर काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/80/5769 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 01सी, सेक्टर - 107, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण / पुनर्निर्माण/परिवर्तन / गिराये जाने के काम का सलगन मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिमोग संरचना मजबूती, अग्निपुष्का, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिमोग के योग्य है।

यह आशिक अधिमोग पत्र दिनांक 26.10.2017 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटि द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किये/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिमोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटि / मू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 30,000.00 वर्ग मी०

मू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य मू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	10,500.00 वर्ग मी० (35%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत मू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	6302.956 वर्ग मी० (21.5%)
पूर्व में निर्मित मू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 06 टॉवर्स)	=	3668.725 वर्ग मी० (12.23%)
वर्तमान में निर्मित मू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 05 टॉवर्स)	=	2344.305 वर्ग मी० (7.814%)
वर्तमान तक कुल निर्मित मू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 11 टॉवर्स)	=	6013.03 वर्ग मी० (20.044%)

एफ०ए०आर० का विवरण (टॉवर सं० 7, 8, 9, 10 व 12)

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर०	=	82,500.00 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०	=	82,497.789 वर्ग मी०
पूर्व में निर्मित एफ०ए०आर० (06 टॉवर्स)	=	49,003.299 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर० (05 टॉवर्स)	=	36,620.471 वर्ग मी०
वर्तमान तक कुल निर्मित एफ०ए०आर० (11 टॉवर्स)	=	85,623.770 वर्ग मी०